न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : सुश्री मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 220

प्रकरण संख्या 130 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री ओमप्रकाश सिंह बनाम तहसीलदार कानोड

–: : निर्णय : :–

दिनांक :–12.11.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम भीम का खेडा पटवार हल्का धारता तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या नया 42, 43, 44 में प्रार्थी का नाम ओम प्रकाश पुत्र अभयसिंह राजपूत दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत है जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि :–

   I. यह कि प्रार्थी ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी भीम का खेडा तहसील कानोड के नाम ग्राम भीम का खेडा के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 42 पर किता 24 रकबा 3.98 हैक्टेयर भूमि में 5 / 32 हिस्सा, खाता संख्या 43 पर किता 1 रकबा 0.06 हैक्टेयर आ. चाह में 5 / 64 हिस्सा एवं खाता संख्या 44 पर किता 15 रकबा 3.00 हैक्टेयर भूमि में 1 / 80 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत दर्ज जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत है।

   II. यह कि प्रार्थी के सभी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह दर्ज है। गांव एवं समाजिक स्तर पर भी इन्हे ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत के नाम से ही जाना पहचाना जाता है। यह कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत के बजाय ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत दर्ज किया जाता है तो किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः तहसीलदार कानोड द्वारा प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत के बजाय ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.01.16 17:15:38 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व ग्राम भीम का खेडा पटवार हल्का धारता तहसील

कानोड की जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या नया 42, 43 व 44 में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत है जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत दर्ज है तथा प्रार्थी को गांव एवं सामाजिक स्तर पर भी ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत के नाम से ही जाना जाता है। तहसीलदार कानोड द्वारा प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत के बजाय ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत संशोधित किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सह खातेदारों का सहमती पत्र, शपथ पत्र व कार्यालय ग्राम पंचायत धारता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रमाणित किया गया कि ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत एवं ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी भीम का खेडा के है तथा दोनो नाम का एक ही व्यक्ति है तथा इन्हे व्यक्तिगत रूप से जानना बताया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति व पेन कार्ड की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार कानोड़ की रिपोर्ट व अनुशंषा एवं प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज के आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत है जिसे कार्यालय ग्राम पंचायत धारता द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत व ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी के दस्तावेजो में ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह है जबकि राजस्व रेकर्ड में ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत दर्ज है जिससे प्रार्थी को असुविधा हो रही है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: :आदेश: :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीम का खेडा पटवार [illegible] की जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या नया 42, 43, 44 में प्रार्थी का नाम [illegible] अभयसिंह राजपूत के बजाय ओमप्रकाश सिंह पुत्र अभयसिंह राजपूत संशोधित [illegible] जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में पालना हेतु तहसीलदार कानोड़ को लिखा [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 12.11.2022 को खुल ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.01.16 17:15:38 IST
Reason: SelfAttested